न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1, लखनऊ।

CNR No. UPLKO10111882022
जमानत प्रार्थना–पत्र संख्याः 6600 / 2022

इरशाद पुत्र मुख्तार निवासी–ग्राम भौजी थाना बक्शी का तालाब जनपद लखनऊ, उ0प्र0।

.....प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोगी

मुकदमा अपराध संख्याः 188 / 2022
धारा–457,380,,411 भा0द0सं0,
थानाः जानकीपुरम, लखनऊ।

दिनांक–10–08–2022

प्रार्थी / अभियुक्त इरशाद की ओर से मुकदमा अपराध संख्याः 188 / 2022, धारा–457,380,411 भा0द0सं0, थानाः जानकीपुरम, लखनऊ के प्रकरण में जमानत हेतु जमानत प्रार्थना–पत्र तथा स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. जमानत आवेदन एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ–पत्र में प्रार्थी / अभियुक्त का कथन है कि वह प्रकरण में नामित नहीं है। वह निर्दोष है और उसे प्रस्तुत प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नही हुई है, फर्जी बरामदगी दिखाकर अभियुक्त को नामित कर दिया गया है। बरामदगी का जनता का कोई स्वतंत्र जन साक्षी नही है। घटना रात की बतायी गयी है। प्रार्थी / अभियुक्त मोटरमैकनिक है तथा मोटरसाकिल की रिपेयरिंग का कार्य करता है तथा प्रार्थी / अभियुक्त मु0–40,000 / –रूपये के मोटरसाइकिल के पार्ट खरीदने गया था। अभियुक्त दिनांक 02.07.2022 से जिलाकारागार में निरूद्ध है। आज तक उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य विवेचक द्वारा संकलित नहीं किया जा सका है। उसका कथित अपराध से कोई सम्बन्ध नहीं है। तब जमानत पर रिहा किया जाए।

3. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए0डी0जी0सी0 (क्रि0) द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया एवं तर्क दिया गया कि प्रार्थी / अभियुक्त के कब्जे से घटना से सम्बन्धित चोरी के रुपयों की बरामद की गयी है। यदि जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह फिर से अपराध में संलिप्त हो जाएगा। तब उसका जमानत आवेदन निरस्त किया जाए।

4. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए0डी0जी0सी0 (क्रि0) के तर्को को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. संक्षेप में अभियोजन के अनुसार दिनांक 17–06–2022 को थाना जानकीपुरम, जनपद लखनऊ में वादी मुकदमा अखिल सिधु ने इस आशय की तहरीर दी कि वह मकान मालिक श्री दिनेश मिश्रा, के 2 / 352, सेक्टर–2, जानकीपुरम विस्तार स्थित मकान में किराये पर प्रथम तल पर रहता है। दिनांक 15–06–2022 को अपने पत्नी के साथ बौरूमऊ चौकी, थाना सैरपुर में गया था। रात्रि 12:45 पर जब घर वापस आया

तो देखा उसके घर के दरवाजे का लाक टूटा हुआ था एवं घर का सामान बिखरा हुआ था। उसके व उसके पत्नी द्वारा बिखरे सामान को देखा गया एवं आलमारी में देखा तो उसके द्वारा रखा गया पैसा लगभग 4,50,000/– रुपया गायब था एवं उसके व्यक्तिगत उपयोग एवं उसकी पत्नी के उपयोग में जाने वाली ज्वैलरी को अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया था, जिसकी सूचना 112 पर पुलिस दी गयी। रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही की जाए।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना जानकीपुरम में मु0अ0सं0 188/2022, धारा 457,380 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत अज्ञात अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। तत्पश्चात् अभियोजन के अनुसार दौरान विवेचना उपनिरीक्षक पीर मोहम्मद मय पुलिस पार्टी अपराध व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व तलाश वांछित अपराधी में मामूर थे कि मुखबिर द्वारा यह बताया गया कि बन्द मकान में चोरी के मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्तगण नौशाद व उसके बड़े भाई इरशाद किसी गाड़ी का इंतजार कर रहे अगर जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है, जिस पर विश्वास करके पुलिस वाले भिठौली क्रासिंग पर पहुॅचे। मुखबिर के इशारे पर खड़े व्यक्ति को पकड़ लिया गया एवं उसने अपना नाम इरशाद बताया तथा जामा तलाशी ली गयी तो जीन्स की बॉयी जेब से 25,000/–रूपये तथा दाहिनी जेब से एक अदद स्टेट बैंक गोल्ड पीले रंग का कार्ड बरामद हुआ जिसमें अखिल सिन्धु लिखा था। पूछने पर बताया गया कि उसको अपने भाई नौशाद एवं अन्य साथियों के साथ मिलकर एक मकान में चोरी की थी जिसमें उसे 25,000/–रूपये व एक स्टेट बैंक का कार्ड नौशाद ने दिया था। अभियुक्त इरशाद उपरोक्त को उसके जुर्म से अवगत कराते हुये बरामदगी के आधार पर वांछित करते हुए धारा 411 भा0दं0सं0 के अपराध की बढ़ोत्तरी की गयी।

6. उभय पक्षों के तर्कों के आधार पर मेरे द्वारा थाने की आख्या एवं सी0डी0 का परिशीलन किया गया। यह अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। अभियुक्त के पास से उक्त मुकदमे से सम्बन्धित 25,000/–रूपये व एक एस0बी0आई0 गोल्ड ए 0टी0एम0 कार्ड की बरामदगी बतायी गयी है। बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नही है। अभियुक्त दिनांक 02.07.2022 से जिलाकारागार में निरूद्ध है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्त द्वारा पुलिस अभिरक्षा में पुलिस के समक्ष की गयी संस्वीकृति के आधार पर इसे अभियुक्त बनाया गया है एवं इस अभियोग में कथित चोरी हुए रुपयों में से कुछ रुपयों की बरामदगी बताते हुए धारा 411 भा0द0सं0 के अपराध की वृद्धि की गयी है। जब कि प्रश्नगत चोरी गये रुपयों एवं बरामद किये गये रुपयों की कोई विशिष्ट पहचान या करेन्सी नोट नम्बर इत्यादि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं है, न ही बरामदगी में ऐसा कोई कथन है। मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, प्रकरण के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आधार जमानत पर्याप्त है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त इरशाद का जमानत आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा **पचास हजार रुपये** का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व समान राशि की **दो** जमानतें सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि की दाखिल करने पर उसे निम्नांकित शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।

1— प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान प्रत्येक तिथि पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के जरिये उपस्थित रहेगा।

2— आरोप विरचित होने के दौरान व बयान अन्तर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 अंकन कराये जाने के समय वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

3— प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मामले के साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा और साक्ष्य में कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(महेश कुमार कुशवाहा)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0—1,
लखनऊ।
आई0 डी0 नं0—यू0पी0 5925

दिनांकः 10—08—2022